यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बइजलास राजेशा डागा आर0ए0एस0

मु.नं. 33 / 19

श्याम सुन्दर शर्मा उर्फ श्यामबिहारी पुत्र भंवरलाल आयु 67 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0।

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित —

वादी की आरे से— विद्धान अधिवक्ता महेश कुमार मालव एडवोकेट।

प्रतिवादी की ओर से— नायब तहसीलदार, कनवास जिला कोटा राज0।

निर्णय

दिनांक— 16.07.2020

वादी ने एक वाद उक्त उनवान का इस आशय का माननीय न्यायालय में पेश किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070—73 खाता संख्या नया 297 के खसरा नं. 1548 की रकबा 0.77 है0 पूर्वी, खसरा नं. 1567 की रकबा 0.04 है0, कुल किता 2 की कुल रकबा 0.81 हैक्टर आराजी स्थित है। जो वादी को आपसी सहमति से हुए बटवारे के अनुसार विभाजन में प्राप्त हुई है। उक्त आराजी पूर्व में वादी के पिता स्वर्गीय भंवरलाल के खाते दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् खुले फोती इन्तकाल में वादी का घर का बोलता नाम श्यामबिहारी लिखा दिया गया तब से राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम श्यामबिहारी चला आ रहा है जबकि वादी के सभी दस्तावेज जिसमें वादी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में वादी का नाम श्यामसुन्दर शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

पुत्र भंवरलाल दर्ज हो रहा है तथा वादी वर्तमान में मकान नं.– 64, 65 विनोबा भावे नगर, कोटा में निवास करने से वादी के सभी दस्तावेजों में वादी का पता विनोबा भावे नगर कोटा का दर्ज हो रहा है। राजस्व रेकार्ड व वादी के अन्य दस्तावेजात में नाम व पते की भिन्नता आने के कारण वादी को कृषि ऋण लेने, बिजली का कनेक्शन लेने, सहकारी लेने, सरकारी लाभ प्राप्त करने, मुआवजा प्राप्त करने आदि मे भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है उक्त दोनों नाम वादी के ही है तथा इस नाम व वल्दीयत का ग्राम धूलेट में अन्य कोई व्यक्ति नही है लेकिन वादी उक्त कार्यो में आ रही गंभीर परेशानी के कारण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्त करवाकर श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं.– 64, 65 विनोबा भावे नगर, कोटा दर्ज करवाना चाहता है जिसका वादी को कानूनन विधिक अधिकार हासिल है। वादी को उक्त त्रुटि की जानकारीं दिनांक 25.06.2019 को विवादित आराजी की राजस्व जमाबंदी निकलवाने व सम्बधित पटवारी हल्का से नाम दुरूस्ती कर रेकार्ड में दर्ज करने की कहने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर उत्पन्न हुआ। वाद दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से दिनांक 06.11.2019 को जवाब दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी द्वारा वादी का नाम जमाबंदी में श्यामबिहारी के स्थान पर श्यामसुन्दर शर्मा तथा निवास धूलेट के स्थान पर मकान नं.– 64, 65 विनाबा भावे नगर, कोटा दर्ज करना चाहता है। जिसमें राजहित प्रभावित नही होते हैं। अतः श्यामबिहारी के स्थान पर श्यामसुन्दर शर्मा तथा निवास धूलेट के स्थान पर मकान नं.– 64, 65 विनोबा भावे नगर, कोटा किये जाने मे कोई आपत्ती नही है। जवाब प्रतिवादी शामिल पत्रावली किया गया तनकियात कायम की गई जो निम्न प्रकार है–

1. आया वादी को कानूनन विधिक अधिकार हासिल है कि वह माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या नया 297 के खसरा नं. 1548 की रकबा 0.77 है0 पूर्वी, खसरा नं. 1567 की रकबा 0.04 है0, कुल किता 2 की कुल रकबा 0.81 हैक्टर आराजी स्थित है जिसमें वादी के स्वर्गीय पिता भंवरलाल की मृत्यु के बाद खुली फोती इन्तकाल में वादी का घर का बोलता नाम श्यामबिहारी लिख दिया गया जबकि वादी के अन्य सभी दस्तावेजों में वादी का नाम श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र भंवरलाल दर्ज हो रहा है तथ वादी वर्तमान में मकान नं. 64, 65 विनाबा भावे नगर, कोटा में निवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

करता है इसलिए राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्त करवाकर श्यामबिहारी पुत्र भंवरलाल की जगह श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी मकान नंग. 64,65 विनोबा भावे नगर कोटा दर्ज करवाने का अधिकारी है ।

—वादी

2. दादरसी।

उक्त तनकियात में तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी के दौरान पी0डब्ल्यू0— 1 स्वयं वादी के बयान लेखबद्ध करवाये जिसमें वादी ने अपने वाद को पूर्णतया तायद किया है तथा साथ ही वादी द्वारा ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र नकल जमाबंदी माल धूलेट (नया) खाता संख्या नई 297, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र, को प्रदर्शित करवाया गया। सम्पूर्ण पत्रावली साक्ष्य वादी व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजता एवं जवाब प्रतिवादी का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह प्रमाणित होता है कि श्यामबिहारी व श्यामसुन्दर एक ही व्यक्ति है जो भंवरलाल ब्राह्मण निवासी धूलेट की सन्तान है। जो वर्तमान में मकान नं. 64, 65 विनोबा भावे नगर, कोटा में निवास करता है। इसलिए वादी का नाम व पता शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में वर्तमान खाता संख्या नया 360 के खसरा नं. 1548 की रकबा 0.77 है0, खसरा नं. 1567 की रकबा 0.04 है0, कुल किता 2 की कुल रकबा 0.81 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम श्यामबिहारी पुत्र भंवरलाल के स्थान पर दुरूस्त कर श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी मकान नं. 64, 65 विनाबा भावे नगर, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा दर्ज किया जावें। तद् अनुसार वादी को उक्त विवादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बउनवान

1. श्याम सुन्दर शर्मा उर्फ श्यामबिहारी पुत्र भंवरलाल आयु 67 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धूलेंट तहसील कनवास जिला कोटा राज0।

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नं. **33/19** सन **2019** तारीख फैसला **16.07.2020 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव वादीगण** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में वर्तमान खाता संख्या नया 360 के खसरा नं. 1548 की रकबा 0.77 है0, खसरा नं. 1567 की रकबा 0.04 है0, कुल किता 2 की कुल रकबा 0.81 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम श्यामबिहारी पुत्र भंवरलाल के स्थान पर दुरूस्त कर श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी मकान नं. 64, 65 विनाबा भावे नगर, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा दर्ज किया जावें। तद् अनुसार वादी को उक्त विवादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **16.07.2020** माह जुलाई 2020 को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
राजेश डागा (आर0ए0एस0)(राज0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई		रुपया	पै.	मुदायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	....	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास